न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

74.14

निगरानी प्रकरण कमांक / III/2014 R 1035 III/14

1– मनीष राठौर 2– गोपालकृष्ण राठौर
3– मोहन राठौर 4–दीपेश कुमार राठौर
5– सुनेशकुमार राठौर पाँचों पुत्रगण
स्व.लक्ष्मीनारायण राठौर
सभी निवासी ग्राम सतनवाड़ा हाल राठौर
मोहल्ला छावनी शिवपुरी मध्य प्रदेश
——आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर शिवपुरी
——अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 – म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – श्रीमान अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा दिये गये आदेश के विरूद्ध अपर तहसीलदार शिवपुरी ने प्रकरण कमांक 65/2010–11 अ 74 में पारित आदेश दिनांक 15–1–14 से पूर्वाधिकारी के आदेश दिनांक 9–8–88 को निरस्त करने के विरूद्ध निगरानी)

महोदय,

(निगरानी के संक्षिप्त कारण)

यह कि श्रीमान कलेक्टर शिवपुरी एंव अपर आयुक्त, , ग्वालियर संभा ग्वालियर के आदेश के पालन में नायव तहसीलदार शिवपुरी ने प्रकरण कम /87–88 अ 61 में पारित आदेश दिनांक 9–6–88 से आवेदकगण के f स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण को सतनवाड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 97/2 (नया 236, 237 पुराना) रकबा 1.490 हैक्टर) पर वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान की थी। आदेश के विरूद्ध अपील/निगरानी माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर हुई तथा माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर से प्रकरण कमांक 71/पां में पारित आदेश दिनांक 21–9–90 से नायव तहसीलदार का आदेश

पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला शिवपुरी

प्रकरण कमांक निग. 1035—।।।/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7.4.2014	यह निगरानी अपर तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण कमांक 65/2010—11 अ 74 में पारित आदेश दिनांक 15—1—14 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। उन्होंने बताया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के आदेश के पालन में आवेदकगण के मृतक पिता को ग्राम सतनवाड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 97/2 नया सर्वे नंबर 236 एंव 237 कुल रकबा 2.450 है. पर वृक्षारोपण की अनुमति मिली थी, जिस पर वृक्षों में पानी देने के लिये एक पक्का कुआ एंव वृक्षों की सुरक्षा हेतु रहने के लिये पक्का कमरा बनाया गया। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार मौके पर आंवला के 10, आम के 10, नीवू के 28, जामफल के 15, सागवान के 14, अशोक के 20, यूकेलिप्टश के 20 पेड़ लगे है ग्राम पंचायत से प्रस्तुत प्रमाणीकरण में भी वृक्ष लगे होने की पुष्टि होती है। आवेदकगण के पिता की मृत्यु के उपरांत म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 239 के प्रावधानानुसार वृक्षों के उपभोग हेतु आवेदकगण का नाम कैफियत के कालम में दर्ज करने	

ववत् दिये गये आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त किया है जबकि वृक्षारोपण की अनुमति अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग के आदेश से 9—8—88 को दी गई है, इसलिये निगरानी राजस्व मण्डल में सुनवाई हेतु प्रस्तुत है अतः निगरानी ग्राह्य कर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगाया जावे।

3/ अपर तहसीलदार शिवपुरी के प्रकरण कमांक 65/2010—11 अ 74 में नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 15—1—14 के अवलोकन से पाया गया कि संहिता की धारा 239 के अधीन पारित आदेश के विरूद्व आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदकगण आदेश इस आदेश के दिनांक से 30 दिवस के भीतर सक्षम राजस्व न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र हैं। यदि उनके व्दारा अपील प्रस्तुत की जाती है तब अनुविभागीय अधिकारी अपील का निराकरण गुणदोषों के आधार पर करें।

4/ उपरोक्त निर्देश के साथ निगरानी इसी—स्तर पर समाप्त कमी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य